प्रेस नोट <u>दिनांक 20.09.2020</u>





थाना रानी की सरायः एक अदद अवैध देशी रिवाल्वर व कारतूस 32 बोर तथा चोरी की मोडरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक 19.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय रामायण सिंह के सतत पर्यवेक्षण में उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराही द्वारा चेक पोस्ट तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर ने सूचना दी कि चोरी की मोटर साइकिल सुपर स्पलैण्डर (ब्लैक रंग बिना न0) पर दो व्यक्ति रानी की सराय की तरफ से आ रहे है, जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति के पास नाजायज असलाह भी है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा बेरियर लगाकर संघन वाहन चेकिंग शुरू किया गया कि कुछ ही समय में एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनको रूकने का ईशारा किया गया तो पुलिस बल देखकर गाड़ी मुडाकर भागने का प्रयास किये कि पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल समय 18.33 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. सोनू कुमार पुत्र अरूण निवासी ग्राम उपेन्दा, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ 2. रविकान्त पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम कुरंसू, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ बताया। बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त मोटरसाईकिल थाना क्षेत्र मेंहनगर से चोरी हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु030स0-95/18 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया है। मौके पर तलाशी से अभियुक्त रविकान्त के पास से एक अदद देशी रिवाल्वर 32 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार

पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0स0 137/20 धारा 41/411/419/420 भादिव 2. मु0अ0स0 138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिवकान्त पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः

- 1. सोनू कुमार पुत्र अरूण निवासी ग्राम उपेन्दा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ।
- 2. रविकान्त पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम कुरंसू थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोगः

- 1. मु0अ0स0 137/20 धारा 41/411/419/420 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ ।
- 2. मु0अ0स0 138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ बनाम रविकान्त ।

बरामदगीः

- 1. एक अदद अवैध देशी रिवाल्वर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
- 2. एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर बिना नं0

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः

- 1. उ0नि0 सुल्तान सिंह, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
- 2. उ0नि0 अनुपम जायसवाल, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
- 3. का0 अजीत यादव, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
- 4. का0 जितेन्द्र यादव, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।



थाना सरायमीरः गैंगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरपतार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़, सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में आज दिनांक 20.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक, सरायमीर अनिल सिंह मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु030संठ 178/20 धारा 3(1) यू0पीठ गैंगेस्टर एक्ट, थाना सरायमीर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरेहुदा निवासी मोठ पठानटोला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. जुगनू उर्फ सऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मोठ पठानटोला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को दिवश देकर उनके घर से समय 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः

मु०अ०सं०-178/२० धारा ३(१) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट, थाना सरायमीर, आजमगढ़ । नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः

- 1. नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरेहुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2. जुगनू उर्फ सऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः

नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर, आजमगढ़।

- 1..मु0 अ0 सं0 178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं० ९१/२० धारा ३/५ए/८ गोवध एवं ११ पशु क्रूरता अधि० थाना सरायमीर आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0 219/18 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़

जुगनू उर्फ सऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।

- 1.मु0अ0सं0 178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं० 91/20 धारा 3/5ए/8 गोवध एवं 11 पशु क्रूरता अधि0थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1.प्र0 नि0 अनिल कुमार सिंह, थाना सरायमीर मय हमराह जनपद आजमगढ़।



महिला ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 04 दंपति साथ-साथ रहने को हुए राजी, 18 में से 09 मामलों का हुआ निस्तारण

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन, मऊ में पुलिस अधीक्षक, मऊ घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख में हुई। इसमें कुल 18 मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से 09 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 04 दंपति अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ-साथ रहने को तैयार हो गए। एक मामले में सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई। इस दौरान तीन मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वहीं चार मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा दो मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 04 अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। महिला ऐच्छिक ब्यूरों के सदस्यों के प्रयास से बंदना यादव और सुनील यादव, मनरावती और राम सोच, राज नारायण मिश्रा और जागृति मिश्रा तथा नसरीन और अकिला खातून, अमृता यादव और राम शरीख, गुडिया और जितेन्द्र तथा सहाना खातून और मेराज के मामले में पक्षकारों की सहमित से पत्रावली निस्तारित कर दी गई तथा कौशल्या चौहान और मनीष के मामले में पक्षकारों की सहमित से पत्रावली निस्तारित कर दी गई तथा कौशल्या चौहान और मनीष के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्निम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही सुनीता यादव और अवधेश, प्रियंका गुप्ता और प्रवीण गुप्ता, रूपेश

कुमार और अंजली के मामले में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया तथा ज्योति वर्मा और राधेश्याम ,रमेश वर्मा तथा मनीष वर्मा, प्रियंका और राकेश तथा कृष्णावती देवी और सरोज के मामले में एक-एक पक्ष उपस्थित हुए तथा शाहिदा परवीन और उफैजा तथा पूजा और अजय राम के मामले में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 04 अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ऐच्छिक ब्यूरों के सदस्यगण इब्राहिम सेवक, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, अर्चना उपाध्याय तथा महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने योगदान दिया। बैठक में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।



जनपद बोलया

दिनांक 17.09.2020 को सिक्किम की रहने वाली एक लड़की प्रिया उर्फ सुजाता दोरजे को बिलया रोडवेज कर्मियों द्वारा पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जो असमान्य हरकत कर रही थी। उसका जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। कुछ स्वस्थ होने पर उसे जिला चिकित्सालय द्वारा दिनांक 18.09.2020 को रात 08.00 बजे डिस्चार्ज कर दिया। बाद में कतिपय समाजसेवियों द्वारा उसके गुम होने की सूचना कोतवाली को दी गयी, जिसपर कोतवाली पुलिस द्वारा सिक्रय होकर उसका पता लगाया गया तो पता चला की वह लड़की महानंदा एक्सप्रेस के \$-4 में जा रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा जीआरपी किटहार से सम्पर्क किया गया। किटहार चाइल्ड हेल्प लाइन, आरपीएफ किटहार व जीआरपी किटहार की संयुक्त टीम की मदद से उसे उतार लिया गया। जीआरपी किटहार से वार्ता करने पर उनकी अभिरक्षा में होना बताया गया तथा उसकी फोटो भी भेजी गयी। वर्तमान समय में प्रिया उर्फ सुजाता दोरजे जीआरपी किटहार की अभिरक्षा में है।